न्यायालय तहसीलदार, रामगंजमण्डी, जिला–कोटा

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीना (RTS) तहसीलदार, रामगंजमण्डी

रण सं. 14/2016

दुर्गा आ0 दासा जाति चमार नि0 नूरपुरा मुकाम कैथूली
तह0 भानपुरा जिला मन्दसौर(म0 प्र0)
प्रार्थी

बनाम

1. बालचन्द आ0 अमरलाल धाकड नि0 बूरनखेडी
2. सांवत सिंह आ0 नामालूम जाति राजपूत नि0 भीमपुरा
अप्रार्थी

वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी .आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक : 19/12/2016

संक्षेप में वाद प्रा0 पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दुर्गा आ0 दासा जाति चमार निवासी नूरपुरा ने निवदेन किया है कि ग्राम नूरपुरा पटवार मण्डल मदनपुरा में खाता संख्या 88/80 में स्थित खसरा नंबर 438 रकबा 1.13 है0 भूमि स्वयं के खाते की भूमि है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है तथा कब्जा छुड़ाने की कहने पर अप्रार्थीगण प्रार्थी को मरने मारने को उतारू हो गये। प्रार्थी ने ग्राम नूरपुरा खाता संख्या 88 में स्थित खसरा नं. 438 रकबा 1.13 है0 भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल कर प्रार्थी को कब्जा दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

प्रकरण में पटवार हल्का मदनपुरा से रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट दिनांक 14/11/2016 में उक्त भूमि रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2069–2072 में ग्राम नूरपुरा के खाता सं. 88 के खसरा नं. 438 की रकबा 1.13 है0 भूमि खातेदार दुर्गा आत्मज दासा जाति चमार बन्जारा

Scanned by CamScanner

सा0 देह दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर खसरा नं. 438 की 1.13 है0 भूमि पर बालचन्द आत्मज अमरलाल जाति धाकड निवासी बूरनखेडी का अवैध कब्जा पाया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में प्रार्थी ने अवगत कराया है कि एडवाइजरी कमेटी द्वारा दिनांक 25/06/1976 को पुराना खसरा नं. 219 रकबा 07 बीघा भूमि प्रार्थी को आवंटित की गयी थी। जिसका खसरा नं. 438 रकबा 1.13 है0 है। प्रार्थी ने साक्ष्य स्वरूप जमाबन्दी छायाप्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ग्राम नूरपुरा की खसरा नं. 438 की 1.13 है0 भूमि खातेदार दुर्गा आ0 दासा सा0 देह के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर अप्रार्थी बालचन्द आ0 अमरलाल धाकड नि0 बूरनखेडी ने अवैध कब्जा कर रखा है प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है अतः राज. टीनेन्सी एक्ट की धारा 183बी के तहत अप्रार्थी को उक्त विवादित आराजी से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का को मौके पर प्रार्थी को कब्जा संभलाने हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सुनाया गया।

तहसीलदार
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner